



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 श्रावण 1948 (श10)
(सं० पटना 917) पटना सोमवार 3 अगस्त 2026

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

23 जुलाई 2026

सं० 03/वन अरा० स्था०-08/2026 (खंड) 4360/प०व०ज०प०—भारत संविधान के अनुच्छेद-309

के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार अवर वन सेवा नियमावली, 2013 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ:-

- (1) यह नियमावली, "बिहार अवर वन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026" कही जाएगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. "बिहार अवर वन सेवा नियमावली, 2013" के नियम-7 (क) में संशोधन।—उक्त नियमावली के नियम-7 (क) के उपनियम (iv) के बाद उपनियम (v) निम्नवत् जोड़ा जाता है :-

"(v) वनरक्षी के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु गैर आरक्षित वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा आरक्षित वर्ग के विभिन्न कोटियों के अंतर्गत समान रूप से वर्गीकरण करते हुए भूतपूर्व अग्निवीरों के लिये, उपलब्ध रिक्तियों का 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। इस आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् बिहार के मूल निवासी हो। यदि निर्धारित संख्या में अग्निवीर उपलब्ध नहीं होते हैं तो इनके लिये आरक्षित पदों में से शेष पदों पर संगत कोटि के अन्य उपलब्ध अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकेगा।"

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आलोक कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

The 23rd July 2026

No. 03/van◦ Ara. Stha.-08/2026 (Part) 4360/E.F.& C.C.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following rules to amend the Bihar Sub-ordinate Forest Service Rules, 2013:-

1. Short title, extent and commencement:-

- (1) These rules may be called the “**Bihar Sub-ordinate Forest Service (Amendment) Rules, 2026**”.
- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette of Bihar.

2. Amendment in Rule-7 (A) of the “Bihar Sub-ordinate forest Service Rules, 2013.” The following Sub rule (v) shall be inserted after Sub rule (iv) of the said Rules:-

“(v)- For direct recruitment on the post of Forest Guard, 20 percent horizontal reservation of available vacancies shall be admissible to the ex-Agniveers after equally classifying them under unreserved category, economically weaker section category and reserved category. Benefit of this reservation shall be admissible to only those candidates whose permanent residence is in Bihar, i.e. who are native of Bihar. If ex-Agniveers are not available in fixed number then other available candidates for respective category may be selected against the remaining posts.”

*By order of the Governor of Bihar
Alok Kumar,
Special Secretary to Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 917-571+500-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>